(34)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, कैम्प रीवा, म0प्र0

R5194-II/15

Rs. 20/-

1- कन्हैयालाल तनय लक्षनधारी साहू निवासी सिंगरौलिया

2- शेषमन शाह तनय रामजियावन शाह पिता नेतलाल शाह निवासी चाचर

3- दयाराम तनय सीताराम {दोनो निवासी ग्राम चांचर

4- भागीरथी तनय सीताराम}

5- रामरूप तनय तिलकधारी साहू निवासी ग्राम सेमरिया ,

6- रामकृपा तनय शेखलाल निवासी ग्राम चांचर

7- बाबूजी तनय संतधारी राम ~~बिलक्की~~ उर्फ रामरेखा, निवासी सेमरिया

श्री अनूपदेव पाण्डेय ... 26.11.15 प्रस्तुत ... रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

एड सभी की तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली म0प्र0 ,

:—— निगरानीकर्तागण

बनाम

1- मध्य प्रदेश शासन

2-रामजतन तनय जगन कोल

3- रामदुलारे तनय जगन कोल

दोनो निवासी ग्राम सेमरिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

4- रामराज{मृतक}वारिस-

1- बाघराज तनय स्व. रामराज बैसवार निवासी ग्राम सेमरिया, तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली म0प्र0

2- लालू तनय स्व. रामराज बैसवार

3- रोहनी तनय स्व.रामराज बैसवार

दोनो निवासी सेमरिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

5- जमुना सिंह {मृतक}वारिसान -

{1} रामनारायण तनय स्व. जमुना सिंह {दोनो निवासी गनियारी,तहसील

{2} सुखलाल कुंवर पत्नी स्व. जमुना सिंह } व जिला सिंगरौली म0प्र0

B.P. Pandey ADC

6- बद्री तनय जमुना तेली, निवासी ग्राम सिंगरौलिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

7- केदारनाथ तनय जमुना तेली निवासी ग्राम सिंगरौलिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

8- भागीरथी तनय आनन्दलाल लोहार, निवासी ग्राम सैमरिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

9- रामलौटन लोहार {फौत} वारिसान-

{1} रामगोबिन्द तनय रामलौटन लोहार

{2} छोटेलाल तनय रामलौटन लोहार

{3} भाईलाल तनय रामलौटन लोहार

तीनो निवासी ग्राम बसौड़ा, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म0प्र0,

10- गंगाराम निवासी ग्राम हर्रई तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

11- श्रीमती चन्दन देवी पत्नी चन्द्रिका प्रसाद बा॰ निवासी हर्रई पूर्व, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

12- मो॰ सद्दीक तनय अब्दर्रहमान मुसलमान निवासी ग्राम सैमरिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

13- राम प्रसाद तनय चरकू तेली {लावल्द फौत}

14- लखनधारी तनय चरकू तेली निवासी ग्राम जैतपुर, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

~~15- शिवशंकर तनय शिवकुमार {फौत} वारिसान~~

15- गंगाराम तेली {फौत} वारिसान:-

{1} अनन्तलाल तनय गंगा प्रसाद तेली निवासी ग्रामदेवरा, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

{2} छोटेलाल तनय गंगाप्रसाद तेली निवासी ग्राम सैमरिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

{3} शिव प्रसाद तनय गंगा प्रसाद तेली निवासी ग्राम सैमरिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

B.D. Pandey Ad

16- जमुना (कौत) वारिसान :-

(1) कैलाश प्रसाद तनय जमुना (तीनो निवासी ग्राम सिंगरौलिया, तहसील व जिला

(2) केदार प्रसाद तनय जमुना (सिंगरौली म0प्र0

(3) बद्री प्रसाद तनय जमुना (

:---------- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र. 34/अपील/2011-12, पारित आदेश दिनांक 12.10.2015,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन 1959 ई.।

माननीय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमियां कोल जाति की है, जो अनुसूचित जनजाति के है, ऐसा अधीनस्थ न्यायालयों का निष्कर्ष है, जबकि उक्त सभी भूमियां जो विवादित है, हितधारी व्यक्तियों ने सन 58-59 के पूर्व क्रय कर लिया था, और क्रय होने के बाद किसी को कोई आपत्ति नही थी, 2.10.59 के बाद अपने नाम नामांतरण विधिवत करा लिया गया, उक्त भूमियों के अंशभागों को आवेदकगण एवं अनावेदकगण ,अनावेदक क्र. 2, 3 को छोड़कर विधिवत विक्रय किया गया, जिसके आधार पर आवेदकगण विवादित भूमियों के भूमिस्वामी हो गये ,इस बिन्दु का अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न करने मे कानूनी भूल की गई है ।

3:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि धारा 170(ख) आकर्षित हो रही है ,कि नही हो रही है, इस कानूनी तथ्य का निष्कर्ष प्रथम अपीली न्यायालय ने अपने आदेश मे नही दिया ,बल्कि मूल न्यायालय द्वारा आदेश

Advocate

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5194—दो / 2015 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13—7—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण कमांक 34/अपील/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 12—10—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने अपने आदेश में विधि की मंशा की अनुरूप विस्तार से आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	